जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

सार्वजनिक सूचना

प.3(23)जविप्रा/ आर.एम. एण्ड सी./आरटीपी/एएचपी/2018/डी– ११५ दिनांक १९/१२/२०१८

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कमजोर आय वर्ग **(EWS)**, अल्प आय वर्ग **(LIG)**, मध्यम आय वर्ग **(MIG-A)** के लिये निर्मित फ्लैट्स तथा कमजोर आय वर्ग **(EWS)**, अल्प आय वर्ग **(LIG)** के लिए भूखण्डों के आवंटन हेतु आयवर्गानुसार ऑनलाईन आवेदन जविप्रा की वेबसाइट WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in अथवा ई–मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से दिनांक 27.08.2018 से दिनांक 14.10.2018 तक मांगे गये थे। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु निम्न कार्यक्रम घोषित किया जाता है :–

1.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसि 2009 फेज–प्रथम मॉडल–2/निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में फ्लैट/भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि (समाप्त)	दिनांक 27.08.2018 से 14.10.2018 तक
2.	आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर आवेदकों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 20.12.2018
3.	आमजन द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रवष्टियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक 20.12.2018 से 03.01.2019 तक
4.	प्राप्त आक्षेपों का सक्षम समिति द्वारा निस्तारण	दिनांक 10.01.2019 तक
5.	प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णय का प्रकाशन	दिनांक 11.01.2019 तक
6.	फ्लैट/भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र आवेदकों की लॉटरी	दिनांक 23.01.2019 जविप्रा परिसर

(अर्चना सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त, आयोजना, अभियान्त्रिकी–प्रथम, द्वितीय, विधि), जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त (प्रशासन, पूर्व, पश्चिम, पीआरएन, भूमि, पुनर्वास,), जविप्रा जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय, सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
8. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक (हाउसिंग), रूडसिको, 4–स–24, जवाहर नगर को सूचनार्थ प्रेषित है।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, (पीआरएन–उत्तर–प्रथम,द्वितीय) (पीआरएन–दक्षिण–प्रथम, द्वितीय)
11. उपनिदेशक (जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर के राजस्थान संस्करण में जारी करने का श्रम करें।
12. नोटिस बोर्ड।

(गिरि राज अग्रवाल)
संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

फ्लैट्स/भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज–प्रथम मॉडल–2 के अन्तर्गत कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) के निर्मित फ्लैट्स आवंटन (फेज–चतुर्थ)

एवं

राजस्थान टाउनशिप पालिसी–2010 के अन्तर्गत निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग एवं (EWS) अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित फ्लैट्स/भूखण्डों का आवंटन (फेज–चतुर्थ)

1. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज–प्रथम मॉडल–2/निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में फ्लैट्/भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 27.08.2018 से 26.09.2018 तक
2. प्राधिकरण की वेबसाईट पर आवेदको की सूची का प्रकाशन (आक्षेप आमंत्रित करने हेतु)	दिनांक 03.10.2018
3. आमजन द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि (आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रविष्टियों के सम्बन्ध में)	दिनांक 03.10.2018 से 18.10.2018 तक
4. सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आक्षेपो का निस्तारण अवधि	दिनांक 25.10.2018 तक
5. सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आक्षेपों पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन	दिनांक 25.10.2018 तक
6. पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय, एवं स्थान	दिनांक 02.11.2018 जविप्रा परिसर

योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया आरक्षित श्रेणीवार पात्रता, नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

1. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज–प्रथम मॉडल–2 के अन्तर्गत उपलबध कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) के फ्लैट्स का आवंटन हेतु (फेज–चतुर्थ):–

1.1 परिचय :–अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज–प्रथम मॉडल–2 के अन्तर्गत 08 परियोजनाओं में आवंटन से शेष एवं उपलब्ध आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) के आवंटन के लिये पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कुल फ्लैट्स की संख्या योजनावार व श्रेणीनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है:–

1.2 कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) की वार्षिक आय, फ्लैट् का निर्मित क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर एवं उपलब्ध फ्लैट की संख्या निम्नानुसार होगी –

क्र. स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग **(EWS)** श्रेणी	अल्प आय वर्ग **(LIG)** श्रेणी	मध्यम आय वर्ग **(MIG-A)** श्रेणी
	निर्मित फ्लैट्स			
1.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत	121 फ्लैट	55 फ्लैट	39 फ्लैट
2.	फ्लैट् का क्षेत्रफल (लगभग सुपर बिल्टअप सहित)	350 वर्गफीट तक	351 से 550 वर्गफीट तक	700 वर्गफीट
3.	आवंटन दर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत /निजी खातेदारी योजना	1260 रूपयें प्रति वर्गफीट	1260 रूपयें प्रति वर्गफीट	1260 रूपयें प्रति वर्गफीट
4.	परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	2,00,000/– तक प्रति वर्ष	2,00,001/– से 6,00,000/– तक प्रति वर्ष	6,00,001/– से 8,00,000/– तक प्रति वर्ष
5.	प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रति फ्लैट) रूपये	10,000/–	15,000/–	20,000/–

1.3 निर्मित आवासों में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल एवं अन्य सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	आय वर्ग	*निर्मित क्षेत्रफल (सुपर बिल्ट अप वर्ग फीट)	कमरें	किचन	शौचालय	स्नानागार	विशेष विवरण
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	325	2	1	1	1	-
2	अल्प आय वर्ग	500	2	1	1	1	बालकनी अतिरिक्त
3	मध्यम आय वर्ग 'अ'	700	2	1	2	1	ड्राइंग एवं डाइनिंग बालकनी अतिरिक्त

NOTE *निर्मित क्षेत्रफल में फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।

1.4 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पं. 2(18)नविवि/5/2009 पार्ट–VIII दिनांक 21.03.2018 के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009/राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अन्तर्गत विकसित योजनाओं में ई.डब्लयू.एस./एल.आई.जी./एम.आई.जी.–प्रथम आवास जिनका आवंटन निरस्त हो चुका है/निरस्त योग्य है अथवा ऐसे आवास जिनका आवंटन संबंधित निकाय द्वारा नहीं किया गया है, ऐसे आवासों के आवंटन की दर वर्तमान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत निर्धारित दर 1260 रू. प्रति वर्गफीट (राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.02.2018 के अनुसार पूर्व की दर रू 1200/–प्रति वर्गफीट में 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर) के समाान रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत मॉडल–1(निजी विकासकर्ता की योजनाऐं) पर उक्त निर्धारित दर 1260/–रूपये प्रति वर्गफीट में से रूपये 100 प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय एवं रूपये 50/– प्रति वर्गफीट संधारण मद में रखें जाने के पश्चात शेष राशि विकासकर्ता को देय होगी।

1.5 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश प 18(36)नविवि/NAHP/2014 पार्ट दिनांक 20.02.2018 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार निर्धारित दर पर बेचे जाने वाले सभी प्रावधानों में लिफ्ट की सुविधा सम्मिलित की जाती है तो अधिकतम 50 ईकाईयों पर प्रति लिफ्ट के हिसाब से प्रस्तावित करने पर विकासकर्ता को रू. 75/— प्रति वर्ग फिट की दर से अधिक भुगतान किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः जिन परियोजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किय गये है, उनमें से किसी प्रोजेक्ट में लिफ्ट सुविधा का प्रावधान होने पर उपरोक्तानुसार अतिरिक्त चार्ज देने के लिए आवंटी बाध्य होगा।

1.6 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पं. 2(18)नविवि/5/2009 पार्ट—VIII दिनांक 21.03.2018 के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी—2009 मॉडल—2 में रूपये 1260/— प्रति वर्गफीट में से विकासकर्ता को वह राशि देय होगी, जो कि योजना के अनुमोदन के समय निर्धारित की गई थी। कुल राशि रू. 1260/— प्रति वर्गफीट में से रूपये 50/—प्रति वर्गफीट संधारण मद में रखे जाने तथा विकासकर्ता को दी जाने वाली राशि के पश्चात शेष राशि स्टेट लेवल सेंक्शनिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 11.08.2017 में लिये गये निर्णय संख्या—3 के अनुसार, रूडसिकों को स्थानान्तरित की जावेगी जिसका उपयोग राष्ट्रीय आवास बैंक से लिये गये ऋण के भुगतान के किया जायेगा।

2. राजस्थान टाउनशिप पालिसी–2010 के अन्तर्गत निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित फ्लैट्स/भूखण्डों का आवंटन (फेज–चतुर्थ):-

2.1 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के लिए कुल 15 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड आरक्षित किये गये है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध मे समय—समय पर जारी निर्देशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस), एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के आरक्षित भूखण्डों हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें है।

2.2 कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) की मासिक आय, भूखण्ड क्षैत्रफल एवं आवंटन की दर निम्नानुसार होगी

क्र. स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (**EWS**) श्रेणी		अल्प आय वर्ग (**LIG**) श्रेणी	
	भूखण्ड				
1.	निजी खातेदारी योजना में भूखण्डों की संख्या	61 भूखण्ड		85 भूखण्ड	
2.	निजी खातेदारी के भूखण्डों का क्षेत्रफल	45 वर्गमीटर		46 से 90 वर्गमीटर	
3.	(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	LIG Group-A (EWS) 150000/— तक प्रति वर्ष	LIG Group-B 150001/— से 2,00,000/— तक प्रति वर्ष	MIG Group-A 2,00,001/— से 4,00,000/— तक प्रति वर्ष	MIG Group-B 4,00,001/— से 6,00,000/— तक प्रति वर्ष
	(ii) आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	आरक्षित दर का 60 प्रतिशत	आरक्षित दर का 90 प्रतिशत	आरक्षित दर पर
	(iii) प्रशासनिक शुल्क राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	10,000/—	15,000/—	20,000/—	25000/—

2.3 सफल आवंटी आयवर्ग के अनुसार आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से मौके पर अधिक होने की दशा में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 16.01.2018 के अनुसार देय होगी।

3 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टयर से अधिक) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टयर से अधिक) में EWS/LIG के फ्लैट्स

3.1 राज्य सरकार द्वारा इस संबंध मे समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न निजी विकासकर्ताओं के अनुमोदित भवन मानचित्र अनुसार बीपीसी (बी.पी) द्वारा उपलब्ध करवाये गये आरक्षित फ्लैटों के लिये पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें है।

3.2 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत विकासकर्ताओं के भवन मानचित्र अनुमोदन पर उपलब्ध कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) की मासिक आय, फ्लैट् का निर्मित क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर निम्नानुसार होगी –

क्र.स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग **(EWS)** श्रेणी	अल्प आय वर्ग **(LIG)** श्रेणी
निर्मित फ्लैट्स			
1	निजी खातेदारी की योजनाओं में फ्लैट	592 फ्लैट्	320 फ्लैट
2	फ्लैट् का क्षेत्रफल (लगभग सुपर बिल्टअप सहित)	350 वर्गफीट तक	351 से 550 वर्गफीट तक
3	आवंटन दर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत /निजी खातेदारी योजना	1260 रूपयें प्रति वर्गफीट	1260 रूपयें प्रति वर्गफीट
4	परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	2,00,000/– तक प्रति वर्ष	2,00,001/– से 6,00,000/– तक प्रति वर्ष
5	प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रति फ्लैट) रूपये	10,000/–	15,000/–

*निर्मित क्षेत्रफल में फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।

4. आवंटन हेतु उपलब्ध कुल फ्लैटों/भूखण्डों की संख्या योजनावार व श्रेणीनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवासों/ फ्लैटों/भूखण्ड का आवंटन शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974, अफोर्डेबल पॉलिसी–2009, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टयर से अधिक) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टयर से अधिक) में तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नितियों, आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार होगा।

5.फ्लैटों एवं भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

5.1 वर्तमान में प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवेदन में उपलब्ध सभी फ्लैटों एवं भूखण्डों में आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)			अनारक्षित श्रेणी
					10%			
					शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)	
10%	6%	9%	3%	2%				60%

5.2 आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

5.3 राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमति रूप से चयनित कर्मचारी जोकि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणीयों के अनुसार पात्रता रखता हो।

5.4 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होगें।

5.5 अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.6 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5.7 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।

5.7.1 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।

5.7.2 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

5.7.3 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों एवं भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।

5.7.4 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

5.7.5 मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।

5.7.6 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट् अथवा भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 10/—रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

5.7.7 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित फ्लैटों अथवा भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

(अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)

(ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

6. आवेदन करने की अनिवार्य पात्रता :

6.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।

6.2 आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा।

6.3 आवेदक को आवेदन पत्र में एक मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

6.4 यह मोबाइल नम्बर आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम होना अनिवार्य हैं। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। आश्रित सदस्य वह है जिसकी आय श्रेणी हेतु सकल आय की गणना में सम्मिलित की जाती है।

6.5 आवेदक के स्वयं के नाम पर मोबाइल नम्बर नहीं होने की दशा में परिवार के सदस्य जिसका मोबाइल नम्बर आवेदन में अंकित किया है का परिवार के सदस्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

6.6 स्वयं, पति/पत्नि या आश्रित सदस्य के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति का मोबाइल नम्बर उल्लेख करने पर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगा।

6.7 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट् (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

6.8 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नही हुआ हो। सफल आवेदक से आवंटन से पूर्व इसका शपथ–पत्र भी लिया जावेगा।

6.9 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति,पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष **2017–18** (01 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2018 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

6.10 ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते है उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

6.11 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

7. आवेदन की सामान्य शर्ते :–

7.1 आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी में वरियता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक (अधिकतम 02) योजनाओं के फ्लैटों अथवा भूखण्डों के लिये आवेदन कर सकेगा। **एक ही व्यक्ति द्वारा अलग–अलग एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।**

7.2 लॉटरी में वरीयता के आधार पर फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटित होने के उपरान्त शेष वरीयताऍ स्वतः ही समाप्त हो जावेगीं एवं शेष वरीयताओं की जमा प्रशासनिक शुल्क आवेदक को लॉटरी पश्चात् लौटा दिया जावेगा।

7.3 ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

7.4 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवें एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व **स्वयं के नाम से** चालू स्थिति में हो **संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होग**ा।

7.5 लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में फ्लैट्रों एवं भूखण्डों के लिए सफल होने पर उच्चत्तम (प्रथम) वरीयता वाले फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।

7.6 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।

7.7 योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट्रों एवं भूखण्डों की संख्या में कमी की जा सकती है। जिसकी सूचना जविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

8. आवेदन शुल्क, प्रशासनिक शुल्क एवं अन्य देय राशि से सम्बन्धित प्रावधान :–

8.1 आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक अधिकतम 2 योजनाओं के फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिये आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रू. 500/– एवं निर्धारित प्रशासनिक शुल्क राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा। कुल प्रशासनिक शुल्क राशि कुल विकल्प वरीयताओं के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन जमा कराना होगा।

8.2 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 की योजनाओं एवं निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में **प्रशासनिक शुल्क की राशि फ्लैट् एवं भूखण्ड की देय कीमत में सम्मिलित नहीं होगी।**

8.3 प्रशासनिक शुल्क राशि एवं आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT/RTGS अन्य के माध्यम से ई–मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।

8.4 गलत बैंक खाता संख्या होने की स्थिति में प्रशासनिक शुल्क के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8.5 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। **<u>संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।</u>**

8.6 आवेदन का माध्यम एवं देय राशि

अ. आॅनलाईन आवेदन करने पर आवेदन शुल्क एवं प्रशासनिक शुल्क का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।

ब. ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई–मित्र सेवादाता द्वारा प्रति आवेदन राशि निम्नानूसार अतिरिक्त देय होगी :–

आवेदन राशि से	आवेदन राशि तक	अतिरिक्त देय राशि
5001.00	25000.00	48.00
25001.00	50000.00	74.00
50001.00 से अधिक		126.00

9. आवेदन करने की प्रक्रिया :

9.1 आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा।

9.2 फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन या ई–मित्र कियोस्क केन्द्रो के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें।

9.3 आवेदन करते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर ऑनलईन आवेदन में भरने पर मोबाईल नम्बर की पुष्टि (कन्फर्म) करने हेतु कम्प्यूटर द्वारा उक्त मोबाईल पर OTP (One Time Password) एक बारीय पासवर्ड संख्या भेजी जावेगी। जिसे ऑनलाईन आवेदन के भरने में पश्चात् ही शेष फार्म भरा जा सकेगा।

9.4 आवेदनकर्ता एक ही आवेदन में एक से अधिक अधिकतम दो योजनाओं के फ्लैट अथवा भूखण्डों की वरीयता के आधार पर आवेदन कर सकेगा

9.5 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार का यथा नाम, मोबाईल नम्बर, आरक्षित वर्ग, आय वर्ग, पता, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि का कोई शुद्धिकरण नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक द्वारा आवेदन फार्म अत्यधिक सावधानी से भरा जाना चाहिए।

9.6 आवेदक द्वारा आवेदन करने के पश्चात् लॉटरी से पूर्व आवेदन–पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन का निर्णय स्वंय के स्तर पर लेकर ही ऑनलाईन आवेदन फार्म भरा जावें।

10 आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण प्रशासनिक शुल्क जब्त किये जाने एवं कब्जा वापिस लिए से बिन्दु :

10.1 निम्न स्थिति में आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण प्रशासनिक शुल्क जब्त किया जावेगा।

10.1.1 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेगे तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

10.1.2 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

10.1.3 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

10.1.4 आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि देने पर ।

10.1.5 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ।

10.1.6 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

10.1.7 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटों एवं भूखण्डों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण दिया जाना आवश्यक है। गलत तथ्य/सूचना पाये जाने पर प्रशासनिक शुल्क जब्त किया जावेगा।

10.2 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जॉच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड निरस्त कर आवंटित फ्लैट/भूखण्ड का भौतिक कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा ले लिया जावेगा।

10.3 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि भूखण्ड आवंटन करवाने में सफल हो जाता है। एवं ऑवटन जारी होकर भूखण्ड की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लैट् अथवा भूखण्ड का कब्जा क्षेत्रीय उपायुक्त जोन द्वारा ले लिया जावेगा।

11. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

11.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही में खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसैंस/पासपोर्ट/ अंकतालिका आदि में से कोई भी)
- आधार कॉर्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)
- सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2017–18 प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित श्रेणी के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति यथा–Govt. Employee/ SC/ ST/ Handicap/Accredited Journalist/ Soldier

11.2 ऑनलाईन आवेदन में भरा गया मोबाईल स्वयं, पति/पत्नि अथवा आश्रित के नाम होने का मूल दस्तावेज एवं परिवार के सदस्यों का मोबाईल नम्बर होने का बिन्दु संख्या 5.3.3 के अनुसार परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य दिया जाना अनिवार्य होगा। जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जॉच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में फ्लैट् अथवा भूखण्ड की कीमत जमा करवानी होगी।

11.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से जयपुर रीजन स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई बैंक की शाखा में निर्धारित चालान से एक मुश्त जमा करानी होगी।

11.4 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

11.5 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक. प.2(18)नविवि/5/2009/पार्ट–VIII दिनांक 21.03.2018 के अनुसार पूर्व की योजनाओं में निरस्त/गैर आवंटित आवास/भूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा मॉडल–1 के तहत एक माह में आवेदन प्राप्त कर आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें तथा आवंटियों से पुनः आवंटित आवासों की सम्पूर्ण राशि तीन माह में ली जावेगी जिसमें से विकासकर्ता के हिस्से की राशि का भुगतान विकासकर्ता को तुरन्त किया जावेगा।

11.6 आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

12. फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटन के पश्चात् वापस लेने की विधि :

12.1 आवंटन सह मांग–पत्र जारी होने से पूर्व या बाद में रिफण्ड चाहने पर जमा प्रशासनिक शुल्क में से GST (नियमानुसार) घटाने पर शेष रही राशि का 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रिफण्ड की जावेगी। लेकिन ऐसे रिफण्ड चाहने का कारण गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन करवाया जाना नही होना

चाहिए ऐसे तथ्य पाये जावे तो ऐसे ऑवटन के पेटे जमा सम्पूर्ण प्रशासनिक शुल्क की राशि जब्त करली जावेगी।

12.2 एक परिवार(पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक फ्लैट् एवं भूखण्ड हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक फ्लैट् अथवा भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष फ्लैट् एवं भूखण्ड की जमा प्रशासनिक शुल्क की राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जावेगी। तथ्य छिपाये जाने का भविष्य में ज्ञात होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसे आवंटन पेटे जमा सम्पूर्ण राशि जब्त करली जावेगी।

13. असफल आवेदकों को प्रशासनिक शुल्क की वापसी :

13.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व IFSC Code में NEFT के माध्यम से हस्तान्तरित की जावेगी। रिफण्ड हेतु खाता संख्या में दो बार ही शुद्धिकरण का अवसर दिया जावेगा। उसके पश्चात् राशि जब्त कर ली जावेगी। जविप्रा द्वारा किसी भी स्थिति में Chargeback देय नहीं होगा।

13.2 असफल आवेदकों को लाटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि आवेदक द्वारा गलत दर्ज आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं नाम इत्यादि जिसके कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. अन्य महत्वूपर्ण शर्ते :

14.1 फ्लैट् एवं भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगें।

14.2 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत आवंटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन कम कब्जा पत्र तैयार कर प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा।

14.3 आवंटी द्वारा फ्लैट् अथवा भूखण्ड के पेटे निर्धारित दर जमा करायी गई कीमत विकासकर्ता को जविप्रा द्वारा ट्रांसफर की जावेगी।

14.4 जोन उपायुक्त द्वारा आवंटियों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जायेगा।

14.5 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही फ्लैट् अथवा भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

14.6 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

14.7 राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आंवटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नहीं किया जा सकता है अतः प्राधिकरण द्वारा भी हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी का सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर फ्लैट् अथवा भूखण्ड का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा ले लिया जावेगा।

14.8 आवंटन में प्राप्त फ्लैट् अथवा भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लघंन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होगें।

14.9 आवासीय इकाई (फ्लैट्) से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जायेगा। रख रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। प्रारम्भिक तौर पर इस बाबत् आवंटन आर्थिक दृष्टि से कमजोर आर्य वर्ग के लिये राशि रू. 2000/–, अल्प आय वर्ग के लिये 3000/– तथा मध्यम आय वर्ग 'अ' के लिये 5000/– आवंटी द्वारा जमा करानी होगी, जो कि सोसायटी के खाते में उपायुक्त जोन द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा नियमित रख–रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी। सोसायटी का गठन संबंधित विकासकर्ता द्वारा आवंटियो से समन्वय कर करवाया जावेगा।

14.10 फ्लैट् का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट् में निवास अनिवार्य होगा अन्यथा राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।

14.11 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का निर्माण कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

14.12 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध भूखण्ड एवं फ्लैट्स की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

14.13 प्राधिकरण बिना सूचना दिए फ्लैट् अथवा भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।
14.14 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
14.15 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

****

स्वप्रमाणित

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु........................... निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।

(3) यह कि मैंने **सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार)** में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।

(4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड अथवा फ्लैट् निरस्त किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/फ्लैट् मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड सहिता(IPC)** अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... जाति .... निवासी.......................
....
.... तहसील.................................... जिला ....
....
राज्य .... की स्वंय पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रू0......................... .... प्रतिमाह हैं एवं मेरा पैन नम्बर ....हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड सहिता(IPC)** अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... इस विभाग में .... पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रू0 .... प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान : विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी...जिला .... सम्भाग................................ राज्य .... जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु (आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .... (रैंक) .... (नाम) .... (नम्बर) ....

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपयें .... प्रतिमाह हैं।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपयें .... प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री .... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू0 .... प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नही किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

<u>शपथ पत्र</u>

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री .... आयु............................ निवासी .... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट् हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/................. .... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स में से कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड सहिता(IPC)**अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु............................ निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड सहिता(IPC)** अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी.. .... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी.. ....तहसील .... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.2(18)नविवि/5/2009 पार्ट–VIII दिनांक 12.06.2017 के द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) की आवंटन दर में 100रू. प्रति वर्गफीट सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं 50 रूपये प्रति वर्गफीट संधारण में रखे जाने के पश्चात शेष रूपये 1050 प्रति वर्गफीट की दर से विकास कर्ता को देय होगें। आवंटन दर रू. 1200/– प्र.व.फीट रहेगी।

1.2 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009, के प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए के फ्लैटों का निष्पादन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अतः सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्टेज पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, unforseen (अज्ञात) कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित फ्लैटस का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं पाया जाएगा तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई फ्लैट् आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा फ्लैट् के पेटे जमा राशि (प्रशासनिक शुल्क को छोडकर) बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।

1.3 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 की योजनाओं में फ्लैटों की कीमत में प्रशासनिक शुल्क की राशि सम्मिलित/समायोजित नहीं होगी।

1.4 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009, के लिए समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश के अनुसार फ्लैट् की एक मुश्त शहरी जमाबन्दी की राशि जमा करवानी होगी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि की देय स्टाम्प ड्यूटी पर लीजडीड निष्पादित की जावेगी।

1.5 सफल आवंटियों को परियोजना की RWA रेडीडेंण्ट वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना होगा।

2.1 प्रशासनिक शुल्क निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के फ्लैटस की कीमत में सम्मिलित/ समायोजित नहीं होगी।

2.3 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में भूखण्ड का पट्टा जारी करते समय एक मुश्त शहरी जमाबन्दी जमा होने की दशा में फ्लैट के आवंटन के समय अलग से एक मुश्त शहरी जमाबन्दी देय नहीं होगी लेकिन फ्लैट् शहरी जमाबन्दी पर ही आवंटित किये जावेगें।

2.4 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010, द्वारा निजी खातेदारी योजनाओं के लिए समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश के अनुसार एक मुश्त शहरी जमाबन्दी जमा करवानी होगी।

2.5 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी के फ्लैटों एवं भूखण्डों का निष्पादन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अतः सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्टेज पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, unforseen (अज्ञात) कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित फ्लैटस अथवा भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाया तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा फ्लैट् अथवा भूखण्ड के पेटे जमा राशि (प्रशासनिक शुल्क को छोडकर) बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।

2.6 सफल आवंटियों को परियोजना की RWA रेडीडेंण्ट वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना होगा।

2.7

2.8 असफल आवेदकों को प्रशासनिक शुल्क का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्चेज के इलैक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर (**Electronic Fund Transfer**) के माध्यम से किया जायेगा।

योजनाओं का शुभारम्भ 27.08.2018.

आवेदन की अन्तिम तिथि 26.09.2018

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

विभिन्न योजनाओं में EWS/LIG/MIG-A वर्ग के फ्लैट अथवा EWS/LIG वर्ग के भूखण्ड के लिये आवेदन

कमजोर आय **(EWS)**, वर्ग अल्प आय वर्ग **(LIG)**, मध्यम आय वर्ग **(MIG-A)** के लिये निर्मित फ्लैट्स तथा कमजोर आय वर्ग **(EWS)**, अल्प आय वर्ग **(LIG)** के लिए भूखण्डों के आवंटन हेतु आयवर्गानुसार ऑनलाईन आवेदन जविप्रा की वेबसाइट अथवा ई–मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से

परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.01.2018 के अनुसार रहेगी। इस हेतु सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये) निम्नानुसार रहेगें :-

क्र. स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग **(EWS)** श्रेणी	अल्प आय वर्ग **(LIG)** श्रेणी	मध्यम आय वर्ग **(MIG-A)** श्रेणी
	निर्मित फ्लैट्स			
1	1. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत	121 फ्लैट	55 फ्लैट	39 फ्लैट
	2. निजी खातेदारी की योजनाओं में फ्लैट	592 फ्लैट्	320 फ्लैट	
2	फ्लैट् का क्षेत्रफल (लगभग सुपर बिल्टअप सहित)	350 वर्गफीट तक	351 से 550 वर्गफीट तक	700 फीट
3	आवंटन दर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत /निजी खातेदारी योजना	1260 रूपयें प्रति वर्गफीट	1260 रूपयें प्रति वर्गफीट	1260 रूपयें प्रति वर्गफीट
4	परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	2,00,000/– तक प्रति वर्ष	2,00,001/– से 6,00,000/– तक प्रति वर्ष	6,00,001/– से 8,00,000/– तक प्रति वर्ष
5	प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रति फ्लैट) रूपये	10,000/–	15,000/–	20,000/–

क्र. स.	विवरण				
	भूखण्ड				
1	निजी खातेदारी योजना में भूखण्डों की संख्या	61 भूखण्ड		85 भूखण्ड	
2	निजी खातेदारी के भूखण्डों का क्षेत्रफल	45 वर्गमीटर		46 से 90 वर्गमीटर	
3	परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	LIG Group-A (EWS) 150000/– तक प्रति वर्ष	LIG Group-B 150001/– से 2,00,000/– तक प्रति वर्ष	MIG Group-A 2,00,001/– से 4,00,000/– तक प्रति वर्ष	MIG Group-B 4,00,001/– से 6,00,000/– तक प्रति वर्ष
4.	आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	आरक्षित दर का 60 प्रतिशत	आरक्षित दर का 90 प्रतिशत	आरक्षित दर पर
5.	प्रशासनिक शुल्क राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	10,000/–	15,000/–	20,000/–	25000/–

❖ आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं प्री लॉटरी द्वारा उपलब्ध आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर केवल दो योजनाओं में वरीयता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक (अधिकतम 02) योजनाओं के फ्लैटों अथवा भूखण्डों के लिए आवेदन कर सकेगा।

❖ सभी योजनाओं में एक या एक से अधिक फ्लैट अथवा भूखण्ड के लिये आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रू. 500/– एवं प्रशासनिक शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा। कुल प्रशासनिक शुल्क राशि कुल विकल्पों वरीयताओं के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन जमा करानी होगी।

❖ ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई–मित्र कियास्क को निर्धारित प्रशासनिक शुल्क राशि (प्रक्रिया शुल्क रू. 500) जमा कराने पर ई–मित्र सेवादाता द्वारा प्रति आवेदन राशि निम्नानूसार अतिरिक्त देय होगी :–

आवेदन राशि से	आवेदन राशि तक	अतिरिक्त देय राशि
5001.00	25000.00	48.00
25001.00	50000.00	74.00
50001.00 **से अधिक**		126.00

❖ योजनाओं में उपलब्ध फ्लैटों एवं भूखण्डों की संख्या में लॉटरी तिथि से पूर्व कमी की जा सकती है।

❖ योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शर्तों की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाईट WWW.jda.urban.rajasthan.gov.inपर उपलब्ध है।

1.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिस 2009 फेज–प्रथम मॉडल–2/निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में फ्लैट/भूखण्ड आंवटन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 27.08.2018 से 26.09.2018 तक
2.	आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर आवेदकों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 03.10.2018
3.	आमजन द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रविष्टियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक 03.10.2018 से 18.10.2018 तक
4.	प्राप्त आक्षेपों का सक्षम समिति द्वारा निस्तारण	दिनांक 25.10.2018 तक
5.	प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णय का प्रकाशन	दिनांक 25.10.2018 तक
6.	फ्लैट/भूखण्ड आंवटन हेतु पात्र आवेदकों की लॉटरी	दिनांक 02.11.2018 जविप्रा परिसर

(अर्चना सिंह)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांकः प.3(15)JDA/रा.टा.पॉ./2016-17/D- 172 दिनांक :- 29/8/2018

सूचना

अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009/निजी खातेदारी की अनुमोदित की विभिन्न योजनाओ में EWS/LIG/MIG-4 वर्ग के फ्लैटों/भूखण्डों के लिए जारी हुई समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 27.08.2018 में ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर निर्धारित प्रशासनिक शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क रू.500/- के साथ ई-मित्र कियोस्क के निर्धारित चार्जेज निम्नानुसार अतिरिक्त देय होगेः-

1. आवेदन राशि रू.5001/- से 25,000/- तक होने पर	रू. 48.00
2. आवेदन राशि रू. 25,001/- से 50,000/- तक होने पर	रू. 74.00
3. आवेदन राशि रू 50,001/- से अधिक होने पर	रू. 126.00

(अर्चना सिंह)
सचिव
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि), जविप्रा, जयपुर
4. विशेषाधिकारी (संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन........, जविप्रा, जयपुर
6. उपनिदेशक(जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर

संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)